राष्ट्रीय सेमिनार

04-05 मार्च, 2020

जेंडर स्टडीज विभाग

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू

सेमिनार का विषय – महिला सशक्तिकरण: परंपराओं के नाम पर कुरीतियाँ

अवधारणा

विश्व में जाने कितनी कुप्रथाएँ और कुरीतियाँ हैं जिनसे महिलाएं अपने दैनिक जीवन में प्रताड़ित हो रही हैं। न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक व भावनात्मक रूप से भी ऐसी परंपराओं के नाम पर फैली कुप्रथाओं के चलते महिलाओं को सामाजिक गैरबराबरी, छुआ-छूत सहित कई बार स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप के विविधतापूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और धार्मिक मान्यताओं, जीवन पद्धतियों के दरमियान तमाम सारी अच्छाइयों के साथ-साथ हमारे रोज-मर्रा के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज जैसे मसलों पर आज भी हम कथित परंपराओं के नाम पर जाने-अनजाने लैंगिक विभेद को बढ़ावा देते हैं जिससे सीधे तौर पर महिलाएं प्रभावित होती हैं, जबकि हम बहुत हद तक सभ्य, शिक्षित, वैज्ञानिक और तकनीकी के स्तर पर बहुत आगे निकल चुके हैं। गौरतलब है कि महिला-पुरुष अथवा किसी अन्य लैंगिक पहचान का होना किसी व्यक्ति की जैविक स्थिति हो सकती है जिसका कि एक स्त्री अथवा पुरुष के बतौर सामाजिक स्थिति, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, अच्छे-बुरे, श्रेष्ठ-निम्न जैसी गढ़ी गयी खांचेबंदियों में फिट कर दिये जाने का कोई वाजिब तर्क नहीं बनता।

सदियों से चली आ रही गैरबराबरी पूर्ण ढंग से गढ़ी गयी कुप्रथाजनित मान्यताओं/विश्वासों ने महिलाओं के हौसले, उनकी क्षमताओं, गैर-बराबरी से परे एक व्यक्ति होने के विश्वासों को बार-बार चुनौती दी है। महिला विरोधी परम्पराएं, कुप्रथाएँ, विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बहुत ही आसानी से खिसकती जाती हैं। पुरुष प्रधान समाज में फैली ज्यादातर कुप्रथाएं महिलाओं पर अन्याय और दोयम दर्जे के व्यवहार को ही बढ़ावा देने वाली हैं। ऐसी परम्पराएँ न सिर्फ भारतीय संदर्भों में बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती आई हैं। मसलन जरूरत जेंडर संवेदनशीलता की है ताकि पितृसतात्मक रूढ़िवादी सामाजिक सोच को वैज्ञानिकता और तार्किकता की कसौटी वाले दायरे में तब्दील किया जा सके। हमारे समाज में परंपराओं के नाम पर फैली जड़ कुप्रथाओं को समाप्त किए बगैर महिला सशक्तिकरण की बात संभव नहीं हो सकती। शासन-प्रशासन द्वारा भी ऐसी कुरीतियों के खिलाफ विभिन्न स्तर पर जागरूकता संबंधी कार्य किए जाते हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए कहें तो, एक समान और सक्षम दुनिया के बनने में परंपराओं के नाम पर प्रचलित कुरीतियाँ भी एक गंभीर और प्रभावी अवरोधक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 04-05 मार्च, 2020 को आयोजित किए जाने वाले इस राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ्य और गंभीर बहस के जरिये भारतीय संदर्भ में परंपराओं के नाम पर फैली कुरीतियों की व्यापकता को विभिन्न विद्वानों के शोध पत्रों, विचारों और अनुभवों के माध्यम से इन्हें समाप्त करने के सशक्त प्रयासों की ओर सामूहिक रूप से सैद्धांतिक एवं तर्कसंगत हल तलाशना है। परंपराओं के नाम पर फैली कुरीतियों, सामाजिक कुप्रथाओं के आलोक में देश भर के विद्वानों, अध्येयताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं सहित इन विषयों पर गंभीर और प्रगतिगामी शोध करने वाले शोधार्थियों/विद्यार्थियों को उनके शोध-पत्रों सहित महत्वपूर्ण विचारों-सुझावों के साथ आमंत्रित करते हैं ताकि ग्रामीण-शहरी, आदिवासी बाहुल्य इलाकों में फैली ऐसी कुप्रथाओं, परंपराओं, मिथकों के खिलाफ जागरूकता लाई जा सके।

पंजीकरण

अंतिम तिथि 02 मार्च, 2020

नोट- पंजीकरण हेतु कोई शुल्क नहीं है। **पूर्ण** शोध प्राप्त होने पर ही पंजीकरण **सुनिश्चित किया जा सकेगा।**

महत्वपूर्ण तिथि

शोध सारांश भेजने की अंतिम तिथि	25 फरवरी, 2020
शोध सारांश स्वीकार करने की की तिथि	26 फरवरी, 2020
सम्पूर्ण शोध पत्र भेजने की अंतिम तिथि	02 मार्च, 2020

सारांश/शोध हेतु निर्देश

राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभागिता करने वाले शोधार्थियों, विद्यार्थियों, विद्वानों से आग्रह है कि उनके शोध पत्र प्रस्तावित विषय **''महिला सशक्तिकरण : परंपराओं के नाम पर कुरीतियाँ''** पर ही आधारित हो।

सारांश/शोध पत्र A-4 पेपर पर यूनिकोड/कृतिदेव 010/Times New Roman में 14 फॉन्ट साइज में टंकित हो। टंकित सारांश/शोध पत्र की सॉफ्ट कॉपी वर्ड एवं पीडीएफ दोनों में संदर्भित ई-मेल पते पर भेजें।

शोध सारांश 250-300 शब्द का होना चाहिए।

शोध पत्र भेजने का पता

manojkumar07gupta@gmail.com

संरक्षक

प्रो. आशा शुक्ला

कुलपति

संयोजक

कुसुम त्रिपाठी

मो. 9323149864

सह-संयोजक

डॉ. रश्मि जैन

डॉ. मनोज कुमार गुप्ता

मो. 7387914970